संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

4662 भोपाल, दिनांक 4/10 /09/2023

क्रमांक /टीसी/30/रतलाम/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट आलोट विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	विक्रमगढ़ तहसील आलोट जिला रतलाम	1345/1/1	0.670	0.670	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग

नोट:-

तहसीलदार, तहसील आलोट जिला रतलाम की फर्द बटांकन वर्ष 2022-2023 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का खसरा क्रमांक 1345/1/1 एवं रकबा 0.670 के अनुसार उपांतरण प्रस्तावित है।

शर्त:-

1. **प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख आलोट विक्रमगढ़ रेल्वे स्टेशन मार्ग (मुख्य मार्ग क्रमांक 3) की चौड़ाई आलोट विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः रेल्वे स्टेशन की सीमा से 30.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।**
2. **रेल्वे सीमा से 30.00 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।**
3. **स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।**
4. **वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं आलोट विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होंगें।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय,

रतलाम को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल